

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आवंटन

अनुदान संख्या-14 (आयोजनागत)

लेखाशीर्षक-4515001010600-24

1-जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,

जनपद-बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, रायबरेली, कानपुर नगर, जालौन, कुशीनगर, सम्भल, सीतापुर, झांसी, बाराबंकी, उन्नाव तथा आगरा।

2-जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0)/आहरण वितरण अधिकारी,

पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या: 1/शा0/48/2016-1/76/2016 लखनऊ: दिनांक 3 मई, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 (सामान्य) आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु रू0-5290.00 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपसचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-18/1282/2016/653/33-3-2016-100(12)/2014 दिनांक 26 मई, 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-35000.00 लाख के सापेक्ष रू0- 5290.00 लाख (रू0 बावन करोड़ नब्बे लाख मात्र) में से उक्त सदर्मित शासनादेश दिनांक 26-05-2016 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8, 15, 17 में इंगित कुल रू0- 5280.147 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट-01) व कालम संख्या-10 में इंगित रू0 9.853 लाख की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट-02) की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1- डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टर लॉकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि, योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231 /2016 दिनांक 22-03-2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जाएगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियाँ-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियाँ-02-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। शासनादेश के संलग्नक में जनपद वार फॉट के कालम संख्या-10 में अंकित धनराशि रू0- 9.853 लाख निदेशक

पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जाएगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जाएगी।

5- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06- सी०सी० रोड एवं के०सी० ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7- सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी०एम०-4 पर लेखशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10-जनपद स्तर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले दो माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

11- जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करायी जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाए।

12- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

13- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10-03-2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-145 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

संख्या:1/शा0/ 48 /1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 5- जिलाधिकारी, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, रायबरेली, कानपुर नगर, जालौन, कुशीनगर, सम्भल, सीतापुर, झांसी, बाराबंकी, उन्नाव तथा आगरा।।
- 6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, रायबरेली, कानपुर नगर, जालौन, कुशीनगर, सम्भल, सीतापुर, झांसी, बाराबंकी, उन्नाव तथा आगरा।।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
- 9- उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 10- एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:- 2016-2017
आवंटन दिनांक-31/05/2016

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1-sha-48-2016-01-76-2016
001-76-2016
14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना(आयोजनागत-मतदेय)
101 - पंचायती राज
06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 55895700 55895700	55895700 55895700
2	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 55895700 55895700	55895700 55895700
3	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 10979500 10979500	10979500 10979500
4	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 9981400 9981400	9981400 9981400
5	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 18964600 18964600	18964600 18964600
6	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 41921800 41921800	41921800 41921800
7	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 29944100 29944100	29944100 29944100
8	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 28946000 28946000	28946000 28946000
9	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 50905000 50905000	50905000 50905000
10	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 46912500 46912500	46912500 46912500
11	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 32938500 32938500	32938500 32938500
12	कशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 79851000 79851000	79851000 79851000
13	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी 64878900 64878900	64878900 64878900
	योग	वर्तमान प्रगामी 528014700 528014700	528014700 528014700

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया बावन करोड़ अस्सी लाख चौदह हजार सात सौ
रूपया बावन करोड़ अस्सी लाख चौदह हजार सात सौ


(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1-sha-48-1-2016-1-76-2016
002-76-2016
14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिष्वय(आयोजनागत-मतदेय)
101 - पंचायती राज
06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकैंग टाइल्स

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	24-वर्ष निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रणामी 985300 985300	985300 985300
	योग	वर्तमान प्रणामी 985300 985300	985300 985300

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया नौ लाख पंचासी हजार तीन सौ
रुपया नौ लाख पंचासी हजार तीन सौ

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

1/27/16/48/16

संख्या- 18 /1282/2016/ 653/33-3-2016-100(12)/2014

(619)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रेषक,

एस0पी0सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु डा0राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-14(सामान्य) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

लखनऊ: दिनांक-26 मई, 2016

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/1537/2016-5/129/2016 दिनांक 16 मई, 2016 के संदर्भ में समय ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समय ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2016-17 में प्राविधानित उक्त योजना के लिए प्राविधानित 35000.00 लाख के सापेक्ष रु0 5290.00 लाख (रु0 बावन करोड नब्बे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) डा0 राम मनोहर लोहिया समय ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समय ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपॉजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अष्टिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तिर्यो -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -800-अन्य प्राप्तिर्यो -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रु0 9.853 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-बृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

27/5/16

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

(11) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(12) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक, पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारियों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।
सलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
- 8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

अनुदान संख्या-14 (सामान्य हेतु) 310 रास मनोहर लोहिया समय ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु व्ययवित्त ग्रामों में सी०सी० रोड के साथ नाली या के०सी० ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि (धनराशि लाख में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा जन्म-द्वारा अनुदान संख्या-१६ के अनुसार कुल मांग	अनुदान संख्या-14 में जनपद को कुल आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि	कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉरेट	सी०सी० रोड एवं के०सी०ड्रेन हेतु वास्तविक धनराशि (7-16)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बरेली	24	560.000	0.000	560.000	521.500	38.500	560.000	1.043	7.823	0.522	0.522	0.522	9.389	10.432	511.068
2	गोडियाबाद	12	330.000	0.000	330.000	307.313	22.687	330.000	0.615	4.610	0.307	0.307	0.307	5.531	6.146	301.167
3	हरदोई	21	510.000	0.000	510.000	474.938	35.062	510.000	0.950	7.124	0.475	0.475	0.475	8.549	9.499	465.439
4	रायबरेली	13	300.000	0.000	300.000	279.375	20.625	300.000	0.559	4.191	0.279	0.279	0.279	5.028	5.587	273.788
5	कानपुरनगर	14	110.000	0.000	110.000	102.438	7.562	110.000	0.205	1.537	0.102	0.102	0.102	1.843	2.048	100.390
6	जालौन	9	190.000	0.000	190.000	176.938	13.062	190.000	0.354	2.654	0.177	0.177	0.177	3.185	3.539	173.399
7	कुशीनगर	29	800.000	0.000	800.000	745.000	55.000	800.000	1.490	11.175	0.745	0.745	0.745	13.410	14.900	730.100
8	समस्त	24	650.000	0.000	650.000	605.313	44.687	650.000	1.211	9.080	0.605	0.605	0.605	10.895	12.106	593.207
9	सीतापुर	13	290.000	0.000	290.000	270.063	19.937	290.000	0.540	4.051	0.270	0.270	0.270	4.861	5.401	264.662
10	झाँसी	5	100.000	0.000	100.000	93.125	6.875	100.000	0.186	1.397	0.093	0.093	0.093	1.676	1.862	91.263
11	बाराबंकी	21	470.000	0.000	470.000	437.687	32.313	470.000	0.875	6.565	0.438	0.438	0.438	7.879	8.754	428.933
12	उन्नाव	19	420.000	0.000	420.000	394.123	28.877	420.000	0.782	5.865	0.391	0.391	0.391	7.038	7.820	383.303
13	आगरा	20	560.000	0.000	560.000	521.500	38.500	560.000	1.043	7.823	0.522	0.522	0.522	9.389	10.432	511.068
कुल	224		5290.000	0.000	5290.000	4926.313	363.687	5290.000	9.853	73.895	4.926	4.926	4.926	88.673	98.526	4827.787

नोट: कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आदरणीय वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी। (रुपया बावन करोड़ नब्बे लाख मात्र)